

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(47)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 05.01.2021 द्वारा श्रीमती सीमा तोगडा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि सूथड़ा, उनियारा, टोंक के परिवीक्षाकाल में 90 दिवस से अधिक लिये गये असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात 35 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
1	25.10.2018 से 26.10.2018	02	कुल 35 दिवस (असाधारण अवकाश)
	12.11.2018 से 23.11.2018	12	
	27.11.2018 से 10.12.2018	14	
	12.12.2018 से 15.12.2018	04	
	09.01.2019 से 11.01.2019	03	

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'मैमोरेण्डम' क्रमांक-एफ. 1(2)एफ.डी. (रूल्स)/2006 पार्ट-1 दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'परिपत्र' दिनांक 07.08.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (60+35) 95 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।



(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
आई.ए.एस.
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 14 / 01 / 2021

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर